राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–59 (लो०सू०अ०)/2023–24

श्री मुकेश पंडित, महिसौड़ी चौक, कमला सिनेमा के सामने गली में, पो.+था.+जिला–जमुई–811

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
18.07.2023	श्री मुकेश पंडित, महिसौड़ी चौक, कमला सिनेमा के सामने गली में, पो. +था.+जिला–जमुई–811307 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–15.07.2023 इस कार्यालय में दिनांक–17.07.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 884244 दिनांक–अप्राप्त संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री मुकेश पंडित ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–12.06.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री मुकेश पंडित उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–12.06.2023 की प्रति भी संलग्न है। लोक सूचना पदाधिकारी को अपीलार्थी द्वारा भेजे एवं प्रपत्र–'क' एवं अन्य संलग्न कागजात को भेजते हुए यह निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–12.06.2023 पर क्या कार्रवाई की गई तत्संबंधी लिखित प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि को उपस्थित करें। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–03.08.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। (हस्ताक्षर) 19/7/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक-1162/रा०स०(III) दिनांक-24-07-2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री मुकेश पंडित, महिसौड़ी चौक, कमला सिनेमा के सामने गली में, पो.+था.+जिला-जमुई-811307 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/7/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी

अपील वाद संख्या–59 (लो०सू०अ०)/2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
09.08.2023	दिनांक-19.07.2023 को पारित आदेश के क्रम में सुनवाई की अगली तिथि 03.08.2023 को रखी गयी थी। अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण उक्त तिथि को सुनवाई नही हो सकी तथा अभिलेख पुनः 09.08.2023 को रखने जाने का निदेश दिया गया। उक्त के क्रम में अभिलेख आज उपस्थापित है। इस प्रथम अपीलवाद में श्री मुकेश पंडित अपीलकर्त्ता द्वारा यह शिकायत किया गया है कि उनके द्वारा प्रपत्र 'क' दिनांक-12.06.2023 के माध्यम से इस आशय की सूचना मांगी गयी थी कि उनके द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उनके द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक-27.03.2023 पर क्या कार्रवाई की गयी है, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-आर. टी.आई./टी.एम.बी.यू.-69/2023-120/रा.स.(I) दिनांक-06.07.2023 के माध्यम से उन्हें यह सूचित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक-27.03.2023 इस कार्यालय में अप्राप्त है। पुनः लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-142 दिनांक-04.08.2023 के माध्यम से अपीलार्थी श्री मुकेश पंडित को उनके द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक-27.03.2023 के क्रम में यह सूचना भेजी है कि इसे कुलपति, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई हेतु इस सचिवालय के पत्रांक-1221 दिनांक-04.08.2021 के माध्यम से भेजा गया है। लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय ने भेजे गए पत्र की छायाप्रति भी अपीलार्थी को संलग्न कर भेज दिया है। अतः अब इस प्रथम अपील में किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित करें। ह०/- 9/8/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक- 1277/रा०स०(III) दिनांक- 11-08-2023

प्रतिलिपिः-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री मुकेश पंडित, महिसौड़ी चौक, कमला सिनेमा के सामने गली में, पो.+था.+जिला-जमुई-811307 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/- 10/8/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी